

20— यदि स्वीकृत कार्य समय अवधि के अन्दर ठेकेदार/फर्म द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो समय अवधि के समाप्त होने के पश्चात् रु0 50 प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी शुल्क जमा करना होगा या कार्य बिल से काट लिया जायेगा।

21— नगरपालिका परिषद् शिकारपुर में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है या उक्त कार्य में कोई त्रुटि पायी जाती है तो उक्त ठेकेदार/फर्म पर जुर्माना तथा काली सूची में उसका नाम डाल दिया जायेगा। जिसका अधिकार पालिका अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी में निहित होगा।

22— निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार पालिका अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी में निहित होगा।

23— ठेकेदार/फर्म की स्वीकृत निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार पालिका अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी में निहित होगा।

24— अनुच्छेद 16 और 17 केवल उन ठेकेदारों/फर्मों पर लागू होगा जो इस नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत ठेकेदारी का कार्य करते हैं।

शास्ती

नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-299(1) 2 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद् शिकारपुर आदेश करती है, कि उपरोक्त अधिनियम की किसी भी धारा का उल्लंघन किये जाने पर उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध रु0 10,000/— (दस हजार रुपया) तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

(हा0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद् शिकारपुर,
जनपद-बुलन्दशहर।

कार्यालय नगरपालिका परिषद् शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर

09 फरवरी, 2024 ई0

सं0 155/न0पा0प0शि/2024-उ0प्र0 अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद् शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर के सीमा हेतु “विज्ञापन (शुल्क) उपविधि नियमावली 2023” प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली की धारा-301 की आपेक्षानुसार उपविधि तैयार की गई है जो नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 23 जून, 2023 के प्रस्ताव सं0-6 में स्वीकृत है। नगरपालिका परिषद् शिकारपुर द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर वित्तीय वर्ष 2023-24 उपविधि कहलायी जायेगी। नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की सीमान्तगत लगाये जाने वाले विज्ञापन शुल्क हेतु निम्न विहित रीति से तैयार कराकर दैनिक जागरण समाचार-पत्र में दिनांक 03 सितम्बर, 2023 एवं दैनिक विशाल विश्व मानव दिनांक 03 सितम्बर, 2023 में प्रकाशन इस आशय से किया गया कि जिस व्यक्ति को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के कार्यालय में सूचना प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु प्रकाशन के निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यालय नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 को यह अपनी मूल रूप से सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, यह उपविधि गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

विज्ञापन शुल्क उपविधि 2023**परिभाषा—**

- 1— नगरपालिका का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर से है।
- 2— सीमा से तात्पर्य वह सीमायें जो शासन से स्वीकृत हैं तथा निकट भविष्य में हो सकती हैं।
- 3— नगरपालिका परिषद् का तात्पर्य निर्वाचित नगरपालिका बोर्ड से है।
- 4— अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- 5— अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

नियम और शुल्क— नगर सीमा अन्यथा नगर सीमा से क्रॉस करने वाले मार्गों पर विज्ञापित (बिल) पम्पलेट, विज्ञापन चिपकाने एवं होर्डिंग्स लगाने पर निम्न दर से विज्ञापन शुल्क देय होगा—

- 1— 1 x 1 फुट साईज पर रु0 1.00 प्रतिदिन या रु0 25.00 प्रति माह प्रति बोर्ड।
- 2— 2 x 2 फुट साईज से 5 x 5 फुट साईज तक रु0 5.00 प्रतिदिन या रु0 100.00 प्रतिमाह प्रति बोर्ड।
- 3— 5 x 5 फुट साईज से ऊपर या 10 x 10 फुट साईज तक रु0 10.00 प्रतिदिन या रु0 250 मासिक प्रति बोर्ड।
- 4— 10 x 10 फुट साईज से अधिक पर रु0 20/— प्रतिदिन या रु0 600/— प्रति मासिक प्रति बोर्ड गणना के अनुसार अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

5— नगर में माईक द्वारा प्रचार-प्रसार ई-रिक्शा से करने पर रु0 50/— तथा चार पहिया से करने पर रु0 100/— प्रतिदिन प्रति प्रचार नगरपालिका को देय होगा प्रचार करने से पूर्व नगरपालिका से अनुमति लेनी होगी बिना अनुमति प्राप्त किये प्रचार-प्रसार करते पाये जाने पर पालिका द्वारा प्रतिदिन रु0 200/— जुर्माना वसूला जायेगा।

6— प्रत्येक प्रकार का बिल पम्पलेट विज्ञापन होर्डिंग्स अन्यथा ऐसे ही अन्य प्रकार के प्रचार-प्रसार माध्यमों की अनुमति के लिए रु0 100.00 शुल्क प्रार्थना-पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा जो किसी प्रकार वापस नहीं होगा। धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रचार-प्रसार शुल्क देय नहीं होगा, किन्तु पालिका कार्यालय को सूचित करना होगा। अनुमति सक्षम अधिकारी से लेनी होगी।

7— अधिशासी अधिकारी के बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं लगाया जा सकेगा।

8— विज्ञापन व्यक्तिगत मकानों की दीवारों पर लिखने या विज्ञापन पोस्टर चिपकाने पर भी उपरोक्त दरों के तहत विज्ञापन शुल्क अदा करना होगा।

9— यह कि विज्ञापन शुल्क की वसूली नगरपालिका द्वारा स्वयं अथवा नीलामी कराकर ठेकेदार के माध्यम से की जा सकेगी।

10— नगर सीमा के अर्न्तगत यूनियोपल लगाये जाने से पूर्व पालिका द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना, पंजीकरण कराना तथा नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिसका शुल्क निम्न प्रकार देय होगा।

- 1— स्वीकृति शुल्क— रु0 1,000/— प्रति प्रार्थना-पत्र
- 2— पंजीकरण शुल्क— रु0 1,000/— प्रतिवर्ष प्रति पोल
- 3— पंजीकरण का नवीनीकरण शुल्क— रु0 500/— प्रतिवर्ष प्रति पोल

11— यूनियोपल लगाते समय पालिका की कोई सम्पत्ति खुर्द-बुर्द या सड़क आदि की टूट-फूट होती है, तो उसकी भरपाई यूनियोपल लगाने वाले को करनी होगी।

12— यूनिपोल की स्वीकृति के 15 दिन के अन्दर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

यह कि उपविधि विज्ञापन शुल्क उपविधि 2023 कहीं जायेगी। जो सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी शुल्क अदा न करने की स्थिति में इस शुल्क की वसूली भू राजस्व की भांति की जा सकेगी।

शास्ति

नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-299(1) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत इस नियमावली का पालन न करने वाले व्यक्ति को अधिकतम रु0 1,000.00 (एक हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकेगा यदि वह निरन्तर अपराध जारी रखता है, तो रु0 200.00 (दो सौ रुपया) प्रतिदिन अर्थदण्ड किया जा सकेगा।

(हा10) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद् शिकारपुर,
जनपद-बुलन्दशहर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर

09 फरवरी, 2024 ई0

सं0 156/न0पा0प0शि/2024-उ0प्र0 अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर के सीमा हेतु “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2023” प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली की धारा-301 की आपेक्षानुसार उपविधि तैयार की गई है जो नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 23 जून, 2023 के प्रस्ताव सं0-8, 9, 12 में स्वीकृत है। नगरपालिका परिषद् शिकारपुर द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर वित्तीय-वर्ष 2023-24 उपविधि कहलायी जायेगी। नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की सीमान्तगत लगाये जाने वाले विविधकर हेतु निम्न विहित रीति से तैयार कराकर अमर उजाला, समाचार, पत्र में दिनांक 02 सितम्बर, 2023 एवं दैनिक विशाल विश्व मानव दिनांक 03 सितम्बर, 2023 में प्रकाशन इस आशय से किया गया कि जिस व्यक्ति को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के कार्यालय में सूचना प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु प्रकाशन के निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यालय नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 को यह अपनी मूल रूप से सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, यह उपविधि गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

“विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2023”

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-298 जो नगरपालिका परिषद् पर प्रवृत्त है के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर में “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2023” कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1. संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

- 1—यह उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2023” कहलायेगी।
- 2—नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर की सीमा में प्रवृत्त होगा।
- 3—यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर में प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं—विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जायेगा।